संख्या-381/2026/2007/22-2-2025-17(959)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 10 अप्रैल,2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 01-09-2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल पुत्र श्री दलीप सिंह, जो शबगा, थाना-छपरौली, जनपद-बागपत का निवासी है। बन्दी द्वारा सोमपाल की पत्नी का अवैध सम्बन्ध विक्रम के साथ होने के कारण दिनांक 26.10.2005 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर धारदार हथियार से मारकर 06 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-14/2006 में भा०द०वि० की धारा-302/34, 449, के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01, बागपत के दण्डादेश दिनांक 04.03.2008 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.08.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.08.2025 तक अपरिहार 19 वर्ष, 09 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, बागपत द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा 06 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्वक रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई का विरोध करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा पुलिस अधीक्षक, बागपत की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिपाल (बन्दी संख्या-13916) पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी जनपद-बागपत की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-381/2026/2007(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।